न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/51

1. रामधन पुत्र गोरधन दत्तक पुत्र किशना ।
2. बंशीलाल पुत्र नन्द किशोर जाति मेघवाल ।
3. बनवारी लाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल ।
4. बादाम बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मेघवाल ।
5. सुशीला बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मेघवाल ।
6. उर्मिला बाई पुत्री नन्दकिशोर जाति मेघवाल ।
7. रामदेव पुत्र गोरधन जाति मेघवाल ।
8. नट्टी बाई पुत्री गोरधन जाति मेघवाल ।
9. केसर पुत्री गोरधन जाति मेघवाल निवीसगण मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कंचन बाई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कन्हैया लाल पुत्र मोहन लाल माता कंचन बाई ।
   1/2. संतोष बाई पत्नी स्व0 रामदयाल ।
   1/3 चंचल पुत्री स्व0 रामदयाल ।
   1/4 अजय पुत्र स्व0 रामदयाल ।
   1/5. निर्मला पत्नी रमेश पुत्री मोहन लाल ।
   1/6. सीमा पत्नी बजरंग लाल पुत्री मोहन लाल ।
   1/7. नरेश पुत्र मोहन लाल जाति मेघवाल निवीसगण पंचायत भवन के पास देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. प्रदीप कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 25.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक कंचन बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद में खात संख्या नया 48 की कुल 10 किता की 5.95 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में गोरधन हिस्सा 1/2 व बिशना हिस्सा 1/2 से दर्ज थी । वादिनी बिशना जी की पुत्री है का नाम वादग्रस्त आराजी में बिशना की मृत्यु के बाद दर्ज होने से रह गया । वादिनी उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 01 के साथ बराबर की अर्थात् 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्सा अर्थात् वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/4 हिस्से की खातेदार है । ग्राम मूण्डला में ही खाता संख्या 66 में कुल 02 किता की 4.81 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 10 प्रदीप कुमार हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 1 1/3, रामदेव पुत्र गारेधन हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी कम 02 से 6 हिस्सा 1/9, व प्रतिवादी कम 07 रामदेव, प्रतिवादी कम 08 व केसर बाई प्रतिवादी कम 09 हिस्सा 1/9 से दर्ज हैं । इस प्रकार बिशना खातेदार की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज हुआ । वादिनी का नाम वादपत्र की मद संख्या 04 में वर्णित भूमि में अंकित होने से रह गया । वादिनी का उक्त भूमि में यानि 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा वादिनी का है । ग्राम कासमपुरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 61 में कुल 03 किता की 2.47 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के पिता मृतक बिशना जी के खाते दर्ज थी । बिशना जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 व मृतक रूकमणी के नाम दर्ज हुई । उक्त भूमि में वादिनी का नाम दर्ज होने से रह गया । वादिनी समस्त आराजीयात में सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है । वादिनी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित नहीं है जिससे प्रतिवादी कम 1 के मन में बदनियति आ गई और वादिनी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने से मना कर दिया तथा उक्त भूमि को विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करावे एवं प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि मद संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादिनी को प्रतिवादी कम 1 के साथ 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे । वादपत्र संख्या 04 में वर्णित भूमि में वादिनी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी प्रकार वादपत्र की मद संख्या 07 में वर्णित आराजी में वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादिनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे एवं वादिनी को उसके हिस्से की आराजी पर उसको काश्त करने से नहीं रोके तथा वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1, 3 से 7 व 09 से 11 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2015 के द्वारा वादिनी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 लगायत 09 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कासमपुरा की भूमियों में रेस्पोडेन्ट कम 1 का हिस्सा मानने में कानूनी त्रुटि की है क्योंकि ग्राम कासमपुरा की भूमियों में अपीलान्ट कम 1 के पिता श्री बिशना जी द्वारा उनके जीवनकाल में ही अपीलान्ट कम 1 के खाते दर्ज करा दी गई थी जिसकी पुष्टि में अपीलान्ट द्वारा ग्राम कासमपुरा की भू–प्रबन्ध की जमाबन्दी संवत् 2043 से 2062 लिखित बहस के साथ प्रस्तुत की गई है । इसके अलावा रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा ग्राम कासमपुरा की जो जमाबन्दी पेश की गई है उसमें भी अपीलान्ट कम 1 का ही नाम लिखा हुआ है । बिशना जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलान्ट कम 1 को प्राप्त नहीं हुई है इस कारण उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट कम 1 को विरासत के आधार पर प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 1 को उसके पिता द्वारा पारिवारिक बंटवारे में उसके हिस्से की भूमि के पेटे ग्राम मूण्डला की खसरा नम्बर 648 की 1.18 हैक्टर भूमि दे दी गई थी । रूकमणी बाई द्वारा उसके हिस्से की 1/2 की रिलीज डीड अपीलान्ट कम 01 के पक्ष में कर दी गई थी तथा रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा उक्त रिलीज डीड को चैलेंज नहीं किया गया है । रिलीज डीड को चैलेंज किये बिना रेस्पोडेन्ट कम 01 का 1/3 हिस्सा होना नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया था । ग्राम मूण्डला एवं कासमपुरा दोनों ग्रामों की आराजियात के सम्बन्ध में पेश किया और कथन किया कि बिशना जी पुत्री होने के नाते उनका दोनों ग्रामों की आराजियात में हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कंचन को उनके पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में ही माता रूकमणी बाई के नाम जो भूमियॉ ग्राम मूण्डला की 08 बीघा कय की गई थी, उसको भू–प्रबन्ध के दौरान कंचन बाई के खाते दर्ज करवा दिया गया था, इस कारण रेस्पोडेन्ट कम 01 को बिशना जी के खाते की भूमियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । ग्राम कासमपुरा की भूमियॉ जो बिशना जी के नाम दर्ज थी वो बिशना जी ने अपने जीवनकाल में आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व अपीलान्ट के नाम दर्ज करवा दी थीं । ग्राम कासमपुरा की आराजियात में बिशना जी की मृत्यु के बाद कोई नामान्तरकरण रूकमणी बाई व रामधन के नाम से तस्दीक नहीं हुआ । इस कारण ग्राम कासमपुरा की भूमियों में रेस्पोडेन्ट कम 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है । अपीलान्ट कम 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस भी पेश की गई थी परन्तु उसका कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया और गलत रूप से प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । तनकीयात का विवेचन विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । रूकमणी बाई के द्वारा अपने हिस्सा 1/2 की रिलीज डीड अपीलान्ट के नाम की थी इस रिलीज डीड को चैलेंज नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट का

दावा चलने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी बिशना जी के खाते की है और वादिनी उनकी पुत्री है इस नाते वादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की वो अधिकारिनी है । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया था । माता रूकमणी बाई को देहान्त हो चुका है । वादग्रस्त आराजी में उनका 1/2 हिस्सा निहित है । यदि पिता ने अन्य कोई आराजी वादिनी को दिलायी है तो उससे वादिनी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । अपीलान्ट गोदपुत्र नहीं है। सेटलमेंट ने गलत रूप से अपीलान्ट के खाते आराजी दर्ज की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादिनी रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मूण्डला में कुल 10 किता की 4.69 हैक्टर आराजी नन्दकिशोर, रामदेव पिता गोरधन व गुलाब बेवा गोरधन हिस्सा 1/2, रामधन बेटा बिशना, रूकमणी बाई बेवा बिशना हिस्सा 1/2 खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कासमपुरा की कुल 03 किता की 2.47 हैक्टर भूमि रामधन पुत्र बिशना के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 प्रदर्श– 3 के अनुसार ग्राम मूण्डला की आराजी कुल 02 किता की 4.81 हैक्टर प्रदीप कुमार पुत्र कृष्णचन्द हिस 1/3, रामधन पुत्र बिशना, रूकमणी बाई बेवा बिशना हिस्सा 1/3, रामदेव पुत्र गोरधन हिस्सा 1/9, बंशीलाल, बनवारी पुत्र , बाबाम, सुशीला, उर्मिला पुत्रियॉ व धन्नीबाई बेवा नन्दकिशोर हिस्सा 1/9 रामदेव पुत्र व नट्टीबाई, केसरबाई पुत्रियॉ गोरधन, बंशीलाल, बनवारी पुत्र बदाम, सुशीला, उर्मिला पुत्रियॉ व धन्नी बाई बेवा नन्दकिशोर हिस्सा 1/9 खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2053–56 प्रदर्श – 4 के अनुसार ग्राम कासमपुरा की कुल 02 किता की 2.79 हैक्टर भूमि रामधन पुत्र बिशना के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2048–51 प्रदर्श– पी–5 के अनुसार ग्राम मूण्डला की कुल 12 किता की 5.01 हैक्टर आराजी में बिशना बेटा शंकर का 1/2 हिस्सा दर्ज है । पत्रावली पर एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है और नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 प्रदर्श– पी–1 के अनुसार 02 किता की 02 बीघा 08 बिस्वा आराजी रूकमणी पत्नी बिशना के खाते में दर्ज है ।

11. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2043–2062, प्रदर्श– 4 नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 जिसके अनुसार कंचनबाई पुत्र बिशना के नाम 01 कित की 1.18 हैक्टर आराजी खाते में दर्ज है । प्रदर्श–ए–1 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार कंचनबाई ने अपने खाते की आराजी का विक्रय चतरू लाल को किया गया है ।

12. पत्रावली पर बयान वादिनी कंचनबाई पीडब्ल्यू–1, रामनिवास पीडब्ल्यू– 2 कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान रामधन डीडब्ल्यू–1, वंशी लाल डीडब्ल्यू–2, कालूलाल डीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

14. पत्रावली पर एक रिलीज डीड की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है जो कि उप पंजीयक कार्यालय दीगोद से पंजीबद्ध है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 के अनुसार खाता संख्या 66 की 02 किता की 4.81 हैक्टर आराजी में रिलीज डीड के आधार पर रूकमणी का हिस्सा रामधन के खाते में दर्ज किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 के अनुसार ग्राम मूण्डल की आराजी खाता संख्या 126 की कुल 10 किता की 4.79 हैक्टर आराजी रूकमणी बाई बेवा बिशना का हिस्सा रामधन के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं ।

15. वादिनी के द्वारा स्वयं को बिशना जी की पुत्री बताते हुए हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया हे । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार ग्राम मूण्डला की आराजी नया खाता संख्या 48 में कुल 10 किता की 4.79 हैक्टर रामधन बेटा बिशना, रूकमणी बेवा किशना 1/2 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम मूण्डला की खाता संख्या 66 प्रदर्श– 3 के अनुसार कुल 02 किता की 4.81 आराजी रामधन पुत्र बिशना और रूकमणी बेवा बिशना का 1/3 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2048 –51 प्रदर्श– 5 के अनुसार ग्राम मूण्डला की कुल 12 किता की 5.01 हैक्टर आराजी में बिशना का 1/2 हिस्सा दर्ज है । प्रदर्श– 5 जिसमें कि बिशना 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज है उसमें अंकित कुछ खसरा नम्बरान प्रदर्श–1 में अंकित खसरा नम्बरान से मिलान नहीं हो रहे हैं साथ ही प्रदर्श–3 जो कि ग्राम मूण्डला की आराजी से सम्बन्धित हैं इसमें भी सहखातेदार के रूप में रामधन पुत्र बिशना, रूकमणी बेवा बिशना का नाज दर्ज है । इस खाते की वो नकल पेश नहीं की गई है जिसमें कि बिशना सहखातेदार दर्ज हो । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी–2 जो कि कासमुपरा की आराजी से सम्बन्धित है उसमें रामधन खातेदार के रूप में दर्ज है । यह आराजी रामधन के खाते में बिशना के खाते से आई है, यह सिद्ध करने के लिए वादिनी के द्वारा बिशना जी के खाते की नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है । साथ ही जो रिलीज डीड पत्रावली पर संलग्न की गई है वो भी न तो प्रमाणित प्रति है और न ही असल है और पूर्णतया पठनीय भी नहीं है इसको प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 खाता संख्या 66 और 126 संलग्न है उसके अनुसार रूकमणी बाई ने रिलीज ग्राम मूण्डला के दो खाते के बाबत् किया जाना प्रतीत होता है । ग्राम कासमपुरा की आराजी में रूकमणी बाई सहखातेदार दर्ज हो ऐसा भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है और न ही यह आराजी बिशना के खाते से रामधन के खाते में आई, यह सिद्ध करने के लिए बिशना के खाते की नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है ।

16. इस प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने से पूर्व रिलीज डीड की असल या प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया जाना अनिवार्य है । साथ ही यह भी देखा जाना अनिवार्य है कि ग्राम मूण्डला के दोनों खातों और ग्राम कासमपुरा की आराजी प्रतिवादी रामधन के खाते में बिशना के खाते से आई है अथवा नहीं । साथ ही प्रदर्श– 5 और प्रदर्श– पी–1 में अंकित खसरा नम्बरान में जो अन्तर आ रहा है उसकी जॉच भी किया जाना अनिवार्य है कि यह अन्तर किस कारण से आ रहा है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । जहॉ तक विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह तर्क चूँकि वादिनी को ग्राम मूण्डला में रूकमणी के नाम जो आराजीयात क्रय की गई थी वह उनके पिता ने अपने जीवनकाल में दे दी थी इसलिए वादग्रसत आराजी में उनका हित निहित नहीं है, इस

तर्क से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि आराजी बिशना के खाते से प्रतिवादी रामधन के खाते में दर्ज हुई है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिनी कंचनबाई इसमें हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.12.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 16 में किये गये विवेचन के अनुसार पक्षकारों से रिलीज डीड की असल अथवा प्रमाणित प्रति प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड की पूर्ण जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.9.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा